MR. CHAIRMAN; Nothing is connected with anything here. Have you got the details? You can supply to the hon Member.

SHRI R. VENKATASUBBAIAH: Because our Prime Minister introduced this scheme to give proper respect fo$_r$ th$_e$ sacrifices mad$_e$ by the freedom fighters, again it was liberalised in the year 1980. Consequent to this li-beralisation, as many as 1.74 lakhs application$_s$ have been received upto the l^{ast} date, that is, 31.3.1982, raising th$_e$ ^{to}tal number of applications since the introduction of the scheme to a little over 4.24 lakhs. So far, pension has ^{Dee}n sanctioned in more that 1.25 lakh cases and almost equal number of cases, rejected. The overall position of applications is as under:

Total number of applications received	..	4,24,090
Total number of cases where pension has been sanctioned		1,26,791
Total number of applications rejected	..	1,31,646
Total number of applications pending	..	1,65,153

This i$_s$ the latest position available.

श्री सभापति : इसको छोड़िये हो गया, इतने तो पेंडिंग केसेज हैं।

श्री हुकम देव नारायण यादव : एक प्रश्न है। सभापति जी, मैं सरकार से यह पुछना चाहता हूं कि जितने लोगों को स्वतंत्रता सैनानी की पेंशन दी जा रही हैं क्या सरकार को इसका पता हैं कि उनमें से कितने लोग आजादी के बाद की पैदायश लिए हुए हैं और कितने लोगों ने आजादी के मूवमेंट में भाग लिया था ? क्या इसका भी कुछ रिकार्ड सरकार के पास हैं या नहो?

SHRI P. C. SETHirit i$_s$ only after proper verification an^ recommendations of the State Government or their jail certificates or recommehda-tion$_s$ of the co-prisoner$_s$ who had been i$_n$ jail for 5 years that pensions are given. Even then I do not say that mistakes don't occur. But when-ever we are able to find mistakes we rectify it

MR. CHAIRMAN: Next question.

Heavy Water Loading of R-5 Plant

*166. [The questione?- *(Shri Jag*-HOTRA; Will th$_e$ PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain problems connected with heavy water loading of R-5 plant have been encountered-and

(b) if $_s$o, what are the detailg in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) No problems are anticipated in loading heavy water to R-5 Plant.

(b) Does not aris$_e$

SHRIMATi USHA MALHOTRA: Will the hon. Ministe$_r$ be pleased to state as to what are the research programmes being taken up b$_y$ R-5 Plant indigenously built research reactor and with what research programmes, it is being associated?

SHRI SHIVRAJ V. PATTL: This reactor will be used for research in the field of physics$_i$ Chemistry, activation, analysis and biology.

*166. *[The questioner (Shri Jag-damibi Prasad Yadav) was absent. For answer* vide *cols.* 36—44 *infra]*.

MR. CHAIRMAN: Question No. 167.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

*167. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आरिक्षत पदों की पूर्ति हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसी अवधि के दौरान किन-किन श्रेणी में कितने-कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति की गई ; और

(ग) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वांछित उम्मीदवारों को भर्ती न करने के क्या कारण हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) संलग्न अनुबन्ध में यथा-विनिर्दिष्ट ।

(ग) समूह "घ" में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता अर्थात् क्रमशः 15% तथा 7½% तक पहुंच गया है । समूह "ग" में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता के लगभग हो गया है । किन्तु श्रेणी-III में अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से कुछ कमी आई है :—

(i) अनुसूचित जन-जातियों के बहुत से व्यक्ति बहुधा अपने निवास-स्थानों से अन्यत्र जाने के अनिच्छुक रहते हैं ।

(ii) अनुसूचित जन-जातियों के बहुत से सदस्यों ने तकनीकी और विशिष्ट स्वरूप के व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त नहीं की होती है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के इन क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अर्हक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते ।

(iii) उपयुक्तता की शर्त पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण 1972 से लागू किया गया है अतः यह अवधि इतनी बड़ी नहीं है कि इस प्रकार के आरक्षण का पूरा असर महसूस किया जा सके ; और

(iv) वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों में समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी तक आरक्षण 1975 से लागू किया गया है ।

अनुबन्ध

समूह (श्रेणी)	अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता	अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता
1	2	3
1-1-1980 की स्थिति के अनुसार		
क (श्रेणी-I) . . .	4.95	1.06
ख (श्रेणी-I[1]) . . .	8.54	1.29
ग (श्रेणी-III) . .	13.44	3.16
घ (श्रेणी-IV) . . .	19.46	5.38

(सफाई वालों को छोड़ कर)

1	2	3
	1-1-1981 की स्थिति के अनुसार	
क (श्रेणी-I) . . .	5.46	1.12
ख (श्रेणी-II) . . .	8.42	1.31
ग (श्रेणी-III) . .	12.95	3.16
घ (श्रेणी-IV) . . . (सफाई वालों को छोड़कर)	19.35	5.07
	1-1-1982 की स्थिति के अनुसार*	
क (श्रेणी-I) . . .	5.63	1.18
ख (श्रेणी-II) . . .	9.02	1.46
ग (श्रेणी-III) . .	13.36	3.47
घ (श्रेणी-IV) . . . (सफाई वालों को छोड़कर)	23.41	7.49

*49 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर।

श्री राम पूजन पटेल : माननीय मंत्री जी ने जो अपना जवाब इसमें दिया है, उसको देखने से प्रतीत होता है कि तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की पूरी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जन-जाति के बहुत से व्यक्ति बहुधा अपने निवास स्थानों से अन्यत्र जाने के लिये अनेच्छुक रहते हैं, इस आधार पर उसकी पूर्ति नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि आजकल जितने पढ़े-लिखे अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, वे दूर से दूर सेवा में जा सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका पुनर्निरीक्षण करें कि ऐसी अनियमितताएं क्यों बरती जा रही हैं जिससे कि हरिजनों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस सम्बन्ध में बार-बार राज्य सरकारों को, विभिन्न मंत्रालयों को, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंगज को समय-समय पर हिदायतें दी जाती रही हैं और 1982 की स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार हुआ है।

इसमें (क) श्रेणी में 5.63 प्रतिशत हरिजन भाइयों की, शेड्यूल्ड कास्ट की भर्ती है, बल्कि शेडयल्ड टाइब्स की इस में

बेशक कम है, 1.18 प्रतिशत, (ख) श्रेणी में 9.02 है, (ग) श्रेणी में 13.36 है और (घ) श्रेणी में 23.41 है। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा भी 7.5 प्रतिशत होता है, वह भी 7.49 तक पहुंच गया है। इस प्रकार से बराबर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी जो परसेंटेज है, उसके मुताबिक इनको नियुक्तियां दी जाएं।

श्री राम पूजन पटेल : माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया है, उसे देखने से ऐसा मालूम होता है कि हरिजनों की नौकरियों में जिस गति से भर्ती होनी चाहिए उस गति से उनकी भर्ती आगे नहीं हो रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि इसको पूरा करने के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाएं क्योंकि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने बार-बार यह आदेश जारी किया है कि हरिजनों की जो कमी है उसको सारा नौकरी में पूरा किया जाए। बीस-सूत्री कार्यक्रम में भी दिया गया है, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद भी आज जो हमारे अधिकारीगण हैं, इसमें शिथिलता बरत रहे हैं। इसमें सख्ती से सरकार को पेश आना चाहिए और इनका सारा कोटा पूरा किया जाए।

MR. CHAIRMAN: This is an advice to you.

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, जहां तक कोटा पूरा करने का प्रश्न है, उसको पूरा करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी में तो यह 15.0 प्रतिशत की बजाए 23.41 प्रतिशत पहुंच गया है और तृतीय श्रेणी में 13.36 प्रतिशत है। बाकी श्रेणियों में, जो टेक्नीकल स्थान हैं या उच्च श्रेणी के पद हैं, उसमें जरूर कमी है और उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : आदरणीय सभापति जी, निश्चित्तापूर्वक 1962 से आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० में एक भी स्थान खाली नहीं रहा है। पूरे तौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग उसमें लिये गये हैं बल्कि कभी-कभी तो जनरल में भी वे लोग आये हैं। पर श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं—इस संबंध में मेरे तो विचार बिलकुल अलग रहे हैं, दुर्भाग्य से मेरा साथ किसी ने अभी तक दिया नहीं है। पर मैं सरकार से आज एक प्रश्न करना चाहता हूं और उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सरकारी नौकरियों में संरक्षण है, उस संरक्षण से लाभ विशेष व्यक्तियों को हो रहा है जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आज से 20, 25 या 30 वर्ष पहले आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, और आई० एफ० एस० में आए, आज उन्हीं के लड़के और लड़कियां बी० ए० और एम० एम० पास करने के बाद बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं।

तो क्या गृह मंत्रालय इसको दो में विभाजित करेगा, मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, मानी भी नहीं। मैं उस पर नहीं जाता, मैं आपकी सुविधा के लिये कहता हूं कि क्या इसमें दो तरह से विभाजन करेंगे, एक सब से पहले सुरक्षित स्थानों पर जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित हैं, उन पर आप सबसे पहले उन नौजवान लड़कों और लड़कियों को लेंगे, जिनके घराने से कोई आ० ए० एस० या आई० पी० एस० या किसी गजेटेड पोस्ट पर नहीं है सब से पहले उनमें से उन जगहों को भरेंगे

और उसके बाद भी जगहें खाली रह जायेंगी (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : कास्ट विदइन कास्ट का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए आपकी क्या योजना है ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो सुरक्षित स्थान हैं वे व्यक्ति विशेष या कुछ खानदानों की मोनोपोली बन गये हैं । हम उस मीनोपोली को चेलैंज नहीं करना चाहते, मेरे अपने विचार अलग हैं...

श्री सभापति : आप अपना सवाल पूछिए ।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मेरा सवाल बहुत पेचीदा भी है और आसान भी । मैं निवेदन कर रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो सरकारी नौकरियां में संरक्षण है वह गरीब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पहले जाय क्या सरकार इस की व्यवस्था करेंगी । पहले शेड्यूल्ड कास्ट के गरीब नौजवान जो पढ़े लिखे हों वह नौकरियों में लिये जायें और यदि उन से जगह बचे और कोटा पूरा न होता हो तो बी कैटेगेरी के ऐसे शेड्यूशल्ड कास्ट के लोग जो आगे चले गये हैं उनसे वह स्थान भरे जायें। क्या ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : : माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि जो लोग संपन्न हो गये हैं या ऊंचे पदों पर पहुंच गये हैं उनके बच्चे ही अच्छी शिक्षा पाते हैं और आगे नौकरियों में ऊंचे पदों पर, ऊंची प्रकार की नौकरियों में स्थान पाते हैं और इस प्रकार से जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको पता नहीं होता । लेकिन यह जो रिजर्वेशन किया गया है यह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्ल्ड ट्राइब्स के लिये है । इसमें किसी प्रकार से विभाजन इकोनामिक क्राइटेरिया के आधार पर किया जाय यह एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर समयानुसार विचार किया जायगा ।

SHRI BUDHA PRIYA MAURYA: Supreme Court has given the ruling. You had been the Chief Justice of India, you know it. Supreme Court has observe^ that only caste cannot be the criteria. Qaste plus poverty will be the criteria. Supreme Court has given the ruling *(Interruptions)*. I know my job, I know what I am saying. I am talking about the Scheduled castes. Supreme Court has observed that only caste cannot be the criteria, caste plus poverty will be the criteria. That is what I wanted to say that the Home Ministry should concentrate on this point. What, I am saying is, whatever reservation fa there it should go To the weaker sections of the society. That is what I am saying

श्री लाडली मोहन निगम : सभापति महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर गुस्सा तो आना ही चाहिए । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप ने अपने बयान में कहा कि 36 वर्ष में जो आरक्षित स्थान हैं उन में क्या प्रगति हुई है । आप ने इसका ब्यौरा दिया है । तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या आप बतलायेंगे कि संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिये कितने प्रतिशत स्थानों का संरक्षण है और 36 वर्ष में 1.5 तक लोग पहुंच गये हैं तो कितनी सदियां लगेंगी आप को उनका आरक्षण पूरा करने में ? दूसरे जो आपने कहा उसी से प्रश्न पैदा होता है और हमारे मौर्य जी का यह सुझाव तो अच्छा है और क्या इस पर सरकार कुछ सोचने को तैयार है ? इसी सिलसिले में मैं क्या निवेदन कर सकता हूं कि जब

आप इस सुझाव पर सोचने लगे तो कम से कम समानता की दृष्टि से एक बात को ध्यान में रखें कि संवर्ण लोगों के बेटे या सवर्ण लोग जो आज तक अच्छी नौकरियों में रहे हैं उन की औलादें जो सुविधायें पाती रही हैं उन की भर्ती आप बन्द कर दें जब तक कि यह कोटा पूरा न हो जाए ? क्या आप इस बात पर सोचने के लिये तैयार हैं ? कितने वर्ष लगेंगे आप को उस संरक्षण को पूरा करने में जो कि संविधान में निहित घोषणा है, और दूसरे आर्थिक आधार पर जब आप सोचने के लिये तैयार हैं तो क्या आप सोचेंगे कि सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर नौकरियों में जगह देना रोका जाय जब तक कि उन में पिछड़े लोगों का कोटा पूरा न हो जाय ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: : शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा 15 प्रतिशत है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का साढ़े सात प्रतिशत है। तो ऐसी सूरत में यह बात सही है कि यह कोटा उच्च श्रेणियों में पूरा नही हो रहा है । मैंने अभी बताया है कि इस कोटे को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने जो निश्चय किया है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री लाडली मोहन निगम : आप कह दीजिए कि इस सदी में नहीं होगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सदी का क्या सवाल है ? हमारा तो प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी हो । जहां तक यह सवाल है कि अगर एक साल में कोटा पूरा नहीं होता तो तीन साल तक बराबर ऐक्सटेंशन देते रहते हैं ताकि उसका लाभ अगले वर्षों तक उसको मिल सके।

श्री भगत राम मनहर : सभापति महोदय, सवाल तो यहां द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के बैकलाग को पूरा करने का है। यह पूरा नहीं हो रहा है तो जैसा मौर्य जी ने कहा बड़े लोग ही नौकरियों पर आ जाते हैं, छोटे लोगों को मौका ही नहीं मिलता, अभी तो बड़े लोग ही नहीं मिल रहे हैं, उनका ही बैकलाग भरने का है।

दूसरी बात मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसा निर्देश जारी किया है विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कि जो अधिकारी रिजर्वेशन की जो पालिसी है, जो प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फौलो अप नहीं करेंगे, तो उनके करैक्टर रोल में रिवर्स इंट्री की जाएगी ? अगर हां, तो क्या उसका पालन हो रहा है ? अगर नहीं हो रहा है तो क्या उसका सख्ती से पालन करायेंगे ताकि ये डिस्क्रिपेंसीज हल हो जाएं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह जो माननीय सदस्य ने कहा है, यह तो हिदायतों में है कि जान-बूझकर जो सरकारी अधिकारी इन हिदायतों का उल्लंघन करे, उसके करेक्टर रोल में टिप्पणी आनी चाहिये, लेकिन ये आंकड़े हमारे पास संकलित नहीं हैं कि इस प्रकार की कितने अधिकारियों के खिलाफ बातें लिखी गई हैं।

SHRI MANUBHAI PATEL: I am glad that a very healthy suggestion. has come from hon'ble Member, Mr. Maurya. No Government on earth can ever satisfy even if all the posts are filled by backward classes or scheduled castes and scheduled tribes. While discussing this problem during the past following events in Gujarat regarding admission of jfosVgra&uate students in medica] colleges etc^ the basic principles were g°ne into ' and I am glad the hon'ble Prime Minister had then favoured the economic backwardness criteria for the solution of this problem But even if you accept

that solution, all the jobs can never be offered and all the population can never be satisfied. So I would like to ask the Government whether it will go to the root of this problem and see that over and above Govt, service some $_s$mall $_s$cal$_e$ industries, some job$_s$ or labour work^ in the rural areas, which will have to be worked out, are developed and distributed so that many persons can be absorbed. Unless you do that, even absorbing, a$_s$ I said$_i$ the total population will not satisfy either the backward class people or the economically backward people. I$_s$ the Government going to consider this aspect of the problem?

SHRI *P*. C. SETHI; Sir, this aspect i$_s$ already unde$_r$ the consideration of the Government. Not only it is under consideration, but as far as scheduled tribes are concerned Special Component Plan$_s$ have been made for them and in these Component Plans, all those points which have been suggested by the hon. Member find a place.

श्री लाडली मोहन निगम : सभापति महोदय, क्या जवाब दिया है मंत्री जी ने। इनके कहने का मतलब यह है कि जो लोग जिस तरह के धंधों में लगे हुये हैं चाहे हरिजन हों, मोची हों, उनको वही धंधे दिये जायेंगे ? क्या आप यह कहने जा रहे हैं ? सवाल यह है कि आप उनको उन धंधों से कैसे निकालेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में काटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा उनको अधिक स्थान एवं सहयोग प्राप्त हो, इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। उनको प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है, हर प्रकार से पूरा एक कंपोजिट प्लान है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हीं धंधों में रहें। उनको निकालकर अच्छे धंधों में लगाया जा सके तो उसका स्वागत है।

श्री लाडली मोहन निगम : यह कौन लगायेगा ?

श्री जी० स्वामी नायक : श्रीमन्, अभी मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में हरिजनों के लिये कम से कम जितनी परसेंटेज है उसकी पूर्ति हुई है, इसके लिये कहा है लेकिन आदिवासियों में कंडीडेट नहीं मिल रहे हैं, खासकर तकनीकी में, जैसे टाइप-राइटिंग में। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसी दुश्वारियों को देखने के बाद सरकार की ओर से ऐसे आदिवासी जो अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह जाते नहीं हैं उनको ट्रेनिंग के लिये कोई ऐसी विशेष व्यवस्था की गयी है जिससे कि वे इस परसेंटेज को पूरा कर सकें ? दूसरा प्रश्न यह है कि 1981 की सैंसस के बाद कुछ स्टेट्स में काफी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज में बढ़ाव-चढ़ाव हुआ है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासियों की जो परसेंटेज बढ़ी है, पापुलेशन बढ़ी है उसके लिहाज से परसेंटेज बढ़ाने का कोई कोशिश कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, जहां तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है इस समय नान-गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के 60 इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनका उत्थान हो सके और ये उच्च श्रेणी की नौकरियों में स्थान प्राप्त कर सकें। जहां तक परसेंटेज बढ़ाने की बात है यह माननीय सदस्य का सुझाव है। इस समय मैं इस का कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

SHRI DINESH GOSWAMI; Sir, may I ask one important question?

MR. CHAIRMAN: I think w$_e$ will have a discussion.

(Interruptions!)

SHRI DINESH GOSWAMI; I will ask a very important questian—you will appreciate it. This has agitated us on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Committee, and therefore I am putting it before the Government. The Government has made j reservations in State Government jobs, Central Government jobs and also in the semi-Government jobs. Will the Government consider making reservations also in private industries and other bodies where they draw heavy amounts from public financial institutions?

SHRI P. C. SETHI: Sir, as far as the public sector undertakings which are under the Government are concerned, we do have instructions Where this is generally followed. *(Interruptions)* ... Now, Sir, as far as the present situation goes, it is difficult \ to enforce it in the private sector.

MR. CHAIRMAN: We will have a ■discussion On this some other time.

DR. (SHRIMATI) . SATHIAVANI j MUTHU: Sir, let mui be the last question. Later on you may allow a half-an-hour or one-hour discussion. In the matter of reservation of jobs for Scheduled Casteg there are many difficulties in that their applications are turned down saying that they do jiot conform to the age or the qualification prescribed. The hon Minister has said just now that action will be taken. May I know what action the Government proposes to take against those who are not reserving jobs for the Scheduled Castes? Secondly, Sir, many of the Scheduled Caste candidates when they appear for interviews, they are not properly examined and are turned down, saying that they have not properly answered or | things like that. May I know from ' the hon. Minister whether any Cell | or any body or any separate Commission will be appointed to go into the j problem in detail in all the States as j well as at the Ceritre and say whe- j ther justice is done in giving employment to them on reservation basis, during the time of receipt of applications and calling them for interviews and such other things?

SHRI P. C. SETHI; Sir, there are separate interviews for Scheduled Castes and scheduled Tribes. As far as Commissions are concerned, there are a number of Commissions and we have got a number of Commission reports. The main question is the implementation of these reports and that is where the Government is concentrating itg attention.

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU: Sir, fe a Half-an-Hour discussion allowed afterwards?

MR. CHAIRMAN: He has already said that he is looking into that

Sixth Plan Targets

•168. DR. SHANTI G. PATEL:
SHRI BISWA GOSWAMI: t

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price rise over the last three years has jeopardised the Sixth Plan targets;

(b) if so, to what extent; and

(c) whether there is any proposal to alter these targets in the light of rising price-rise?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) The price rise has affected the public sector Plan outlays in real terms. However, the position in regard to the likely achievements in terms of nhy-sical targets in the different sectors will be indicated in the mid-term appraisal of the Sixth Plan. This appraisal is presently nearing completion and will be placed on the Table of the House when completed.

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Biswa Goswami.